संख्या-7/2016/357/49-3-2016-100(23)/2005

प्रेषक,

धीरेन्द्र प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता,उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक: 31 मार्च , 2016

विषय- विभागीय मंत्री जी द्वारा विवेकाधीन अनुदान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागीय मंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान दिये जाने के क्रम में वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 10000/- (रू0 दस हजार मात्र) को, किसान सेवा सहकारी समिति लि0, जसवन्तनगर, विकास खण्ड -जसवन्तनगर, जनपद इटावा के पक्ष में सहकारिता के विकास हेतु स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त अनुदान का आबंटन गृहीता संस्था को किये जाने के पूर्व इस आशय का प्रमाण-पत्र लिया जायेगा कि उसने राज्य सरकार के किसी अन्य श्रेणी के विवेकाधीन अनुदान/मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से चालू वित्तीय वर्ष में कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं की है।

3- उक्त अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें यह उल्लेख किया जायेगा कि अनुदान की शर्तों और उददेश्यों को पूर्ण कर लिया गया है।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-18 के अधीन लेखा शीर्षक "2013-मंत्रि-परिषद-आयोजनेत्तर-105-मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-03-सहकारिता मंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान-42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

धीरेन्द्र प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-7/2016/357(1)/49-3-2016,तद्-दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: --

1- उप महालेखाकार(राजकोष एवं वी0एल0सी0) कार्यालय महालेखाकार(लेखा हकदारी) प्रथम,उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- उप महालेखाकार(राजकोष) कार्यालयमहालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) द्वितीय,उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निजी सचिव, मा0 सहकारिता मंत्री जी, उ0प्र0शासन।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता,उ0प्र0,लखनऊ।

----2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता,उ0प्र0,लखनऊ।
7- मण्डलायुक्त, कानपुर मण्डल एवं जिलाधिकारी, इटावा।
8- सम्बन्धित संस्था द्वारा आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ।
9- जिला सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता,उ0प्र0,इटावा।
10-वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2,उ0प्र0शासन।
11-सूचना सलाहकार, मुख्य मंत्री कार्यालय एनेक्सी भवन, लखनऊ।
12-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

धीरेन्द्र प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।